न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री नमित मेहता, आई.ए.एस.

राजस्व अपील : 20/2021

जी.सी.एम.एस. : 2021/210

अपीलाण्ट्स :– बनाम **रेस्पोडेण्ट :–**

स्व. जालमसिंह उर्फ जालमसिंह पुत्र पनेसिंह, जाति पुरोहित, निवासी बिठुडा पिरान के कायम मुकाम वारिशान एवं उत्तराधिकारी –

1. जुहारसिंह उर्फ जुंजारसिंह पुत्र श्री जालमसिंह
2. जयसिंह पुत्र जालमसिंह

जातिगण पुरोहित, निवासीगण बिठुड़ा पिरान, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार, सुमेरपुर, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी

सरकारी पैरोकार उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24.11.2022

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सुमेरपुर (प्रभारी अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान) द्वारा दिनांक 06.01.2011 को ग्राम बिठुड़ा पिरान, पटवार हल्का अनोपपुरा के नामान्तरकरण संख्या 598 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील अपीलाण्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा ग्राम बिठुड़ा पिरान में स्थित पुराने खसरा संख्या 297 व खसरा संख्या 298 रकबा क्रमशः 14 बिस्वा एवं 38 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा की कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी, कब्जा काश्त की आई हुई है। जिस भूमि के हाल सेटलमेण्ट बाद नये खसरा संख्या 720 रकबा 2.30 हैक्टर, खसरा संख्या 721 रकबा 3.00 हैक्टर, खसरा संख्या 722 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा संख्या 723 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा संख्या 724 रकबा 0.08 हैक्टर कुल रकबा 5.67 हैक्टर दर्ज किया गया, जिस भूमि की बीघा में गणना करने पर 35 बीघा 08 बिस्वा ही होती है। चूंकि वादीगण की पूर्व में खातेदारी कब्जाशुदा कृषि भूमि 38 बीघा 18 बिस्वा थी लेकिन सेटलमेण्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों ने नये खसरा संख्या बनाते वक्त रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा ही खातेदारी दर्ज किया गया, करीब 2.5 बीघा (.40 हैक्टर) भूमि वादीगण की खातेदारी में कम दर्ज की गई जबकि मौके पर वादीगण का पूरे 38 बीघा 18 बिस्वा पर कब्जा काश्त कायम है एवं मौके पर काश्त की जा रही है। इस प्रकार सेटलमेण्ट अधिकारियों द्वारा गलती से खातेदारी कम दर्ज करने व दूसरे खसरा संख्या 643 जो नदी की भूमि का रकबा बढ़ाकर वादीगण की खातेदारी भूमि से कर दी गई। अतः जैर नामान्तरकरण निरस्तनीय है। जैर आराजी में अपीलाण्ट के पिता स्व. जालमसिंह उर्फ जालमसिंह पुत्र पनेसिंह, जाति पुरोहित गत राजस्व रेकर्ड के अनुसार खातेदार थे एवं उनकी खातेदारी में 38 बीघा 18 बिस्वा भूमि कब्जा काश्त एवं उपयोग–उपभोग की गई। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा जो अपीलार्थीगण का वाद डिक्री किया गया वो सही

जिला कलक्टर, पाली

एवं विधि अनुसार मेरिट पर डिक्री किया गया एवं भूमि की किस्म पूर्व अनुसार अपीलार्थीगण के नाम चाही दर्ज करने के आदेश किये गये थे, जिसकी पालना करने हेतु रेस्पोडेण्ट तहसीलदार, सुमेरपुर बाध्य थे लेकिन बिना किसी उचित कारण के रेस्पोडेण्ट तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा जैर नामान्तरकरण को खारिज करने का आदेश दिया है, जो पूर्णतया विधि विरूद्ध एवं अनुचित है। तहसीलदार, सुमेरपुर को न्यायालय के डिक्री आदेश की पालना करने हेतु हल्का पटवारी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 598 भरकर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया था लेकिन केवल आपसी वैमनस्य के चलते हल्का आर.आई. ढोला द्वारा बिना किसी उचित आधार के नामान्तरकरण पर रोक लगाई गई कि माफिक डिक्री खसरा संख्या 643 जो कि गैर मुमकिन नदी है, जिसकी खातेदारी दी गई है, नदी की भूमि प्रतिबन्धित होने से काबिले खारिज योग्य है एवं इसी आधार पर रेस्पोडेण्ट तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा बिना किसी जाँच किये नामान्तरकरण खारिज करने के आदेश दिनांक 06.01.2011 को कर दिया गया, जो पूर्णतया कानून की अवहेलना है क्योंकि उक्त निर्णय व डिक्री अन्तिम हो चुकी थी। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट या अन्य किसी द्वारा कोई अपील या रिवीजन आदिनांक तक नहीं किया गया एवं न ही अपीलार्थीगण को कभी ऐसा कोई नोटिस ही प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में केवल मात्र निर्णय डिक्री अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करना था लेकिन रेस्पोडेण्ट ने इस कानूनन स्थिति को नजर अन्दाज करते हुए नामान्तरकरण खारिज करने का आदेश कर दिया जो आदेश पूर्णतया विधि विपरीत दुर्भावना पूर्ण होने से खारिज करने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के निर्णय डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थीगण की जो पूर्व में खातेदारी भूमि सेटलमेण्ट अधिकारियों द्वारा कम कर दी गई थी, उसी भूमि को पुनः अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये गये थे एवं इसी आशय की निर्णय डिक्री पारित की गई थी, जिस निर्णय डिक्री में किसी प्रकार की कोई अवैद्यता या अनियमितता नहीं थी एवं उक्त निर्णय डिक्री की पालना रेस्पोडेण्ट तहसीलदार, सुमेरपुर को विधि अनुसार करनी थी लेकिन तहसीलदार, सुमेरपुर ने बिना किसी उचित कारण के अपीलार्थीगण को बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई के उक्त नामान्तरकरण खारिज करने का आदेश पारित कर दिया जो ओदश निरस्त करने योग्य है एवं पुनः अपीलार्थीगण के नाम निर्णय डिक्री अनुसार खातेदारी दर्ज की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार फरमाई जाकर जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में वकील अपीलाण्ट्स द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए बताया कि नामान्तरकरण में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन नदी दर्ज है जिस कारण किस्म बदलकर खातेदारी भूमि में दर्ज नहीं की जा सकती। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमावे।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। उक्त अपील का मुख्य आधार यह है कि तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में सक्षम न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2010 के पश्चात भी निर्णय की पालना में नामान्तरकरण नहीं खोला गया व नामान्तरकरण संख्या 598 में वर्णित भूमि को प्रतिबन्धित मानते हुए खारिज कर दिया।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(227)राज–7/2014 दिनांक 14.06.2018 एवं राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के पत्रांक/राम/न्याय/स्था./प–84(2)/06/4577 दिनांक 15.04.2014 के अनुसार ऐसे प्रकरणों में जहां विभिन्न न्यायालयों/राजस्व न्यायालयों द्वारा सरकार के विरूद्ध निर्णय पारित किये जाते है, उनके सन्दर्भ में अपील/नो–अपील के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रकरण बनाकर भेजा जाना होता है। जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिये जाने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जानी होती है।

उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के आदेश दिनांक 18.05.2010 की अपील/नो–अपील के सन्दर्भ में तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्यवाही किया जाना पत्रावली पर नहीं पाया गया है तथा स्वयं के स्तर से सक्षम न्यायालय के निर्णय उपरान्त भी नामान्तरकरण अपने स्तर पर खारिज किया जाना

जिला कलेक्टर, पाली

न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण संख्या 598 दिनांक 06.01.2011 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, सुमेरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2010 के सन्दर्भ में अपील/नो–अपील हेतु प्रकरण बनाकर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश करे एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्णय/आदेश अनुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

तहसीलदार, सुमेरपुर को यह भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में भी राज्य सरकार के विरूद्ध पारित निर्णयों में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(227)राज–7/2014 दिनांक 14.06.2018 एवं राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के पत्रांक/राम/न्याय/स्था./प–84(2)/06/4577 दिनांक 15.04.2014 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली